

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-15/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती अनीशा चन्द्रन, एवं अंजू रॉय, नर्स-2, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर को NIPI programme Norway India Exchange programme(Norway) में दिनांक 05.04.2019 से 04.11.2019 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु विदेश(नार्वे) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है।

- 1 State Government will not bear any financial liability in this regard.
- 2 They will not undertake any employment there.
- 3 Resignation /VR will not be accepted while they are abroad.
- 4 They will submit an undertaking to the Medical Department that no pharmameutical company/film is sponsoring this visit.
- 5 Superitendent, Sir Padampat Mother and child Health Institute, that no will ensure compliance of conditions Mentioned in the policy circulated by the State Govt. in this regard on 13-07-2009.
- 6 It is also clarified they have to produce, after them return the papers/report to Government with due endorsement from the institution/Organizers.
- 7 The above period shall be treated as on duty under rule 1f 7(8)(B) 1 of RSR.



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-15/2019/ 447

दिनांक:- 4-4-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 110/एसएम/एमएण्डएच /19 दि. 03.0.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर को उनके आई डी क्रमांक: 2314/एसीएस/एमएण्डएच/2019 दि. 06.08 2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक: 705 दिनांक 03.04.2019 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह महाविद्यालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर